क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा0 पत्र संख्या 63/2014 अ.धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955 **उनवानी बारसीलाल बनाम बहादुर आदि** GCMS 2014/00628	

022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है।

अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र के जरिये मांगा गया रास्ता 12 फुट चौड़ा पूर्व में रहा है। इसी रास्ते से ही आवेदक अपने खेत की भूमि में उंट गाड़ी व ट्रेक्टर आदि ले जाता रहा है। परन्तु सन् 2006 में उक्त रास्ते की भूमि में अनावेदक संख्या 1 ने जबरन पत्थरों का पारा लगाकर बन्द कर दिया जिससे आवेदक अपनी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो गया। आवेदक भूमि खसरा नम्बर 221 से ही अपने उक्त खेत में आवागमन करता रहा है। आवेदक को राजस्व ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी स्थित उसके खेत खसरा नम्बर 220 में आवागमन एवं खेत को जोतने के लिए अनावेदक संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 221 के दक्षिणी सिरे से सड़क बीलवा से चंवरा जाने वाली से आवेदक के खेत खसरा नम्बर 220 तक 16 मीटर लम्बा व 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे। ताकि आवेदक अपने खेत खसरा नम्बर 220 में आवागमन कर सके एवं अपने खेत को जोत सके।

विद्वान अधिवक्ता अनावेदक संख्या 1 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि अनावेदक संख्या 1 राजस्व ग्राम बीलवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 220 का खातेदार काश्तकार है। आवेदक का अनावेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 221 से अपने खेत में आना जाना न तो कभी पहले था तथा ना ही आज है। अनावेदक के खेत में से न तो कोई रास्ता पहले था ना ही आज है। अनावेदक अपनी खातेदारी की भूमि में अपने आवासीय मकानात् बनाकर आबाद है। आवेदक के द्वारा जहां से रास्ता दर्शाया है वहां कोई रास्ता नहीं रहा बल्कि वहां पर पहले से मेड बन्दी थी बाद में अनावेदक ने अवारा पशुओ की फसल से सुरक्षा बावत पत्थरों का पक्का पारा 20 वर्ष पूर्व लगा लिया था। रास्ते की बाबत आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध सिविल कोर्ट खेतड़ी में मुकदमा नम्बर 29/2006 बारसीलाल बनाम बहादुर पेश किया था जिस 10 वर्ष बाद विड्रा कर लिया था। आवेदक ने यह मुकदमा अनावेदक को परेशान करने बाबत झुंठा आधारहीन पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अतः आवेकद का आवेदन पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिजे काबिल योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन परीक्षण किया गया और उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात से स्पष्ट हुआ है कि अनावेदक द्वारा खसरा नम्बर 221 में बनाये गये पशुओं के बाड़े के बाहर तथा उक्त खसरा नम्बर 221 की दक्षिण सीमा के मध्य रास्ते के लिए भूमि खाली नहीं है। उक्त बाड़े की दीवार दक्षिणी सीमा से सटते हुये है। दस्तावेजी रिकार्ड के मुताबिक वांछित रास्ता की भूमि पर पुख्ता/कच्चा पक्का निर्माण दावा दायरी से पूर्व का है। इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

पक्के निर्माण जो दावा दायरी से पूर्व का तथा वर्तमान में भूमि रास्ता हेतु खाली नहीं होने से पक्के निर्माण को हटाकर आवेदक को अनावेदक से रास्ता दिलवाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। आवेदक यह साबित करने में असफल रहा है कि उसे रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव है व मांग किया गया रास्ता उसकी जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आवेदक अपने खेत खसरा नम्बर 220 के समीप तथा बीलवा–चंवरा सड़क पर स्थित खेत खसरा नम्बर 219 में से रास्ता चाहने के लिए नया वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 13:21:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner